न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदिश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 58 / 2022 रा.वा.

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022 / 182

उनवान

1. श्री हिम्मतसिह पुत्र स्व. लक्ष्मणसिह जी चौहान राजपुत, उम्र बालिग, निवासी सलुम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।

——वादी

विरूद्ध

1. श्री यशवन्त सिंह पुत्र स्व. लक्ष्मणसिंह जी चौहान राजपुत, उम्र बालिग
2. श्री अभयसिंह पुत्र स्व. लक्ष्मणसिंह जी चौहान राजपुत, उम्र बालिग

   निवासीयान सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।
3. भूमिधारी तहसीलदार सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।

——प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)

वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

::निर्णय::

दिनांकः 06/01/2026

उपस्थितः— श्री गोविन्दलाल डांगी अधिवक्ता —वादी
श्री राजकुमार जैन अधिवक्ता— प्रतिवादी संख्या 1
श्री कमल बहोती अधिवक्ता— प्रतिवादी संख्या 2

वादी द्वारा यह वाद धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादी के वाद के संक्षिप्त तथ्य निम्न है कि वादग्रस्त कृषि भूमि मौझा एवं पटवार हल्का सलुम्बर की निम्न कृषि भूमि वादी एवं स्व. सरदार सिंह पिता तेजसिंह एवं स्व. उदयसिंह पिता केसरसिंह राजपुत तीनों ने मिलकर बराबर हिस्से से जरिये रजि. विक्रय पत्र के दिनां 16—03—1960 को पूर्व खातेदार स्व. हीरालाल माथुर निवासी सलुम्बर से निम्न साबिक भूमि खरीदी थी जिसके साबिक आराजी नम्बर 178, 179, 180, 181, 182, 183/1, 183/2, 184, 185, 186, 187 कुल खेत 11 रकब 12 बीघा 4 बिसवा लगानी 21 रू. 15 आना थे।

वादी एवं सह खातेदार सरदार सिंह एवं उदयसिंह तीनों ने मिलकर आपसी बंटवाडा किया जिसमें निम्न भूमि मुझ वादी के हिस्से में सा.आ.नं. 178/1, 179/1, 181/2, 182/2, 183/1ख, 184/2, 185/2 कुल खेत 7 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा जिसके हाल पैमाईशी निम्न आराजी नम्बर बने है हाल आ.नं. 460/0.02, 461/0.17, 463/0.09,

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

464 / 0.19, 467 / 0.04, 468 / 0.13, 470 / 0.10, 473 / 0.09, 478 / 0.20 कुल किता 9 रकबा 1.030 हेक्टर लगानी 9 रूपये 5 पैसे। उक्त भूमि वादी की स्व. अर्जित है जिस पर मेरा सन् 1960 से लेकर आज तक गत 65 वर्षो से निरन्तर बेरोकटोक कब्जा चला आ रहा है। हाल पैमाईश में उक्त भूमि को अमीनों ने आराजी नम्बर 461 एवं 464, आ.नं. 473, 478 के टुकडे कर वादी व प्रतिवादी नं. 1 एक व 2 के खाते किये है जो अवैध है। उक्त साबिक भूमि किता 7 सात रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा का प्रतिवादी अभयसिंह एंव यशवन्त सिह ने उक्त भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की आय से खरीदने का झुठा कथन कर पांती बंटवाडा का एक राजस्व वाद इसी न्यायालय में मुझ वादी एवं हमारी माता स्व. श्रीमती कस्तुरी बाई पर पेश किया जिसके मु.नं. 21 / 87 अभयसिंह विरूद्ध हिम्मतसिंह था जो वाद दिनांक 09–12–1987 को निरस्त हुआ, जिस वाद की आज तक अपील नहीं हुई है एवं उक्त निर्णय आज तक प्रभावी है।

उक्त वाद संख्या 21 / 87 रा.वाद माननीय आप सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया तब सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी केम्प सलुम्बर की मिसल नं. 5 / 90 गलत कायमकर राजस्व रेकार्ड में ना.सं. 653 का गलत हवाला देकर अपने अधिकार क्षैत्र से परे जाकर उक्त भूमि के बराबर हिस्से से हिम्मतसिंह वादी एवं अभयसिंह, यशवन्त सिंह पुत्र स्व. लक्ष्मणसिंह प्रतिवादी का नाम दर्ज कर दिया जबकि तहसीलदार सलुम्बर ने सुचना के अधिकार में वादी को साफ लिखकर दिया है कि ना.सं. 653 कस्बा सलुम्बर के नामान्तरण रजि. में दर्ज नहीं है फिर भी तारीख 17–04–1990 को अवैध बंटवाडा कर दिया जिसमें वादी हिम्मतसिंह के खाते हाल आराजी नम्बर 1586 / 467, 460, 461, 463, 470, 473 कुल खेत 6 रकबा 0.31 हेक्टर अंकित की है एवं प्रतिवादी नं. 1 एक यशवन्त सिंह के खाते 1583 / 473, 1585 / 467, 1589 / 461, 1590 / 478, 1591 / 464, 464 एवं 468 कुल खेत 7 रकबा 0.4200 हेक्टर दर्ज किये तथ प्रतिवादी नं. 2 दो अभयसिंह के खाते हाल आराजी नम्बर 1582 / 473, 1584 / 467, 1588 / 461, 1592 / 464 एवं 478 कुल किता 5 रकबा 0. 30 हेक्टर दर्ज की है, उक्त बंटवाडा अवैध है। कानुनन बंटवाडा सिर्फ रेकार्डेड खातेदार ही करा सकता है, जब प्रतिवादीगण का पांती बंटवाडा का वाद दिनांक 09–12–1987 को निरस्त कर दिया था तो बिना अपीलीय न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री के आदेश के एक अदना अधिकारी को उच्च अधिकारी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री द्वारा प्रतिवादीगण का वाद खारिज हो जाने के बाद सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी को बंटवाडा करने का कानुन में कोई अधिकार प्राप्त नही था, इसलिये भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा मि.नं. 5 / 90 से दिनांक 17–04–1990 का बंटवाडा किया जो आदेश अवैध है एवं काबिल निरस्त होने से वादी ने यह वाद संख्या 58 / 22 रा.वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का दोनों प्रतिवादीगण के विरूद्ध

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

पेश किया है। वादी को मु.नं. 21/87 रा.वाद खारिज होने एवं मु.नं. 5/90 के सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा बंटवाडा करने की सर्वप्रथम जानकारी प्रतिवादी नं. 1 एक सडक किनारे प्रथम बार कोट बनाने दिनांक 01-02-2022 को मौके पर आया तव उसने जमीन सेटलमेन्ट विभाग से खाते कराने की बात बतलाई उसके तुरन्त बाद वादी ने यह वाद पेश किया।

प्रतिवादी नं. 1 एवं 2 का उक्त भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, फिर भी उन्होंने हाल सेटलमेंट में धोखाधड़ी से अपने नाम खाते दर्ज करवा लिये। इस अवैध प्रविष्टि की जानकारी वादी को दिनांक 01-02-2022 को तब हुई जब प्रतिवादी नं. 1 ने भूमि पर निर्माण/कोट बनाने का प्रयास किया। प्रतिवादीगण द्वारा कराई गई प्रविष्टियां अवैध, शून्य एवं वादी के खातेदारी अधिकारों के विरुद्ध हैं। इसलिये यह वाद घोषणा कराने खातेदारी हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया है।

अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी नं. 1 एक एवं 2 दो के विरूद्ध निमन प्रकार की डिक्री प्रदान कराई जावे कि मौझा एवं पटवार हल्का सलुम्बर की हाल खाता खाता नं. 232 एवं खाता नं. 03 जिसका पूर्ण विवरणप वादपत्र की कलम संख्या 2 ख 'ए' व 2 ख 'बी' मे दे रखी भूमि की प्रविष्टियाँ निरस्त की जाकर उक्त भूमि का एकमात्र खातेदार काश्तकार वादी को घोषित फरमाया जावे एवं उक्त भूमि वादी अकेले के खाते अंकित फरमाई जावे। तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादी नं. 1 एक एंव 2 दो वादी के शान्तीपूर्वक काश्त कब्जे में किसी प्रकार की दस्तनदाजी नहीं करे एवं नहीं उक्त कृत्य अपने परिजनों, नौकरो, मजदुरो से करावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार जैन ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 एक यशवन्त सिंह द्वारा वादी के वाद का पूर्णतः विरोध किया गया है तथा वाद को अस्वीकार्य व खारिज योग्य बताया गया है। प्रतिवादी का मुख्य कथन संक्षेप में निम्न है कि वादग्रस्त भूमि वादी हिम्मत सिंह की निजी आय से नहीं खरीदी गई, बल्कि संयुक्त परिवार के कर्ता स्व. लक्ष्मण सिंह द्वारा प्रतिफल दिया गया था, अतः तीनों पुत्रों हिम्मत सिंह, यशवन्त सिंह व अभय सिंह का बराबर हिस्सा है। क्योकि उक्त वादी हिम्मतसिह के पास कोई आय का स्त्रोत नही था तो प्रतिफल प्रदान किया गया जो कि सयुक्त परिवार के कर्ता श्री लक्ष्मणसिह के द्वारा प्रदान किया गया जिस कारण ही उक्त सम्पति उपरानत में जो वाद हुये उसमे जवाब में यह स्वीकार किया गया कि उक्त सम्पति संयुक्त परिवार की थी ।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

वर्ष 1990 में सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी द्वारा विधिवत् विभाजन किया गया, जिस पर वादी व प्रतिवादीगण ने हस्ताक्षर किए। उसी के आधार पर नामांतरण हुआ, जो आज तक वैध है तथा उसके विरुद्ध कोई अपील या रिवीजन नहीं किया गया। जिस कारण आज भी राजस्व रिकार्ड मे वादी व प्रतिवादीगण के खाते जमीन अलग अलग होकर के उसका सही उपयोग व उपभोग कर रहे है। वादी स्वय के द्वारा श्री देवीलाल डागी को दिनांक 11.05.1987 को वकालतनामा पर हसताक्षर किया व जवाब देने के लिये अपनी मा के साथ उक्त वकालतनामा पर हस्ताक्षर किये गये जिसके उपरानत मे वादी हिम्मतसिह के द्वारा ही दिनांक 21.07.1987 को ही जवाबदावा भी प्रस्तुत किया गया तथा उक्त दिनांक को ही राजीनामा भी श्रीमान न्यायालय असिस्टैन्ट कलेक्टर सलुम्बर के समक्ष प्रकरण सख्या 21/1987 मे प्रस्तुत किया जिसमे सत्यापन वादी हिम्मतसिह के द्वारा किया गया जिसमे श्रीमति कस्तुरी देवी का भी अगुष्ठ है जिस कारण प्रतिपादीत है कि वादी हिम्मतसिह के द्वारा स्वय यह श्रीमान न्यायालय के समक्ष यह स्वीकार किया गया कि उपरोक्त जमीन मे सभी भाई यानी वर्तमान वाद के प्रतिवादीगण व वादी का हिस्सा है।

उक्त वाद का निस्तारण होने के उपरानत मे सहायक भु प्रबन्ध अधिकारी उदयपुर के समक्ष उपरोक्त वादी व प्रतिवादी दाना के द्वारा सुयक्त तोर पर विभाजन का एक वाद को प्रस्तुत किया जो कि दिनांक 17.04.1990 को दर्ज होकर के दिनांक 26.07.1990 को निर्णय हो गया जिसके मुताबिक ही खाता नम्बर 253 का विभाजन किया गया जिसका नामान्तकरण दिनांक 28.08.1990 को पारीत किया गया जिस कारण उक्त वाद मे वादी को किसी भी प्रकार की दाद प्राप्त नही हो सकती है ।

वादी स्वय के द्वारा दिनांक 26.07.1990 के निर्णय मे हस्ताक्षर किये गये है जिसमे वादी व अन्य प्रतिवादी अभयसिह व यशवन्तसिह के द्वारा दिनांक 26.07.1990 को श्रीमान ए आर ओ द्वितीय उदयपुर के समक्ष पत्रावली नम्बर 05/1990 में बयान कराये गये तथा उक्त दिनांक को ही एक बटवाडा करके स्टाम्प पर हस्ताक्षर कर दिये गये जिसमे आपस मे विभाजन किस प्रकार से मोके पर किया गया उक्त वर्णन है जिसके उपरानत मे उक्त दस्तावेज को उक्त न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस कारण उक्त पर हस्ताक्षर कर दिये है जिस कारण उक्त वाद खारीज होने योग्य है। जिस कारण वादी के द्वारा जो वाद कारण लिखा है जो कि गलत लिखा है। जिस कारण वाद इसी प्रकम मे इसी स्टैज पर खारीज फरमाया जावे । प्रतिवादी के अनुसार वादग्रस्त भूमि संयुक्त परिवार की है, विभाजन व नामांतरण अंतिम व वैध है, पूर्व वाद से मामला निपट चुका है, अतः वर्तमान वाद अवैध, समय-सीमा से बाधित एवं खारिज योग्य है।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

प्रतिवादी नम्बर 1 ने विशेष कथन मे अंकित किया कि वर्तमान वाद से पूर्व वर्ष 1987 में प्रकरण सं. 21/1987 प्रस्तुत हुआ था, जिसमें वादी हिम्मत सिंह व कस्तुरी देवी ने जवाबदावा व राजीनामा प्रस्तुत कर भूमि को संयुक्त स्वीकार किया था।उक्त प्रकरण में दिनांक 09–12–1987 को निर्णय/डिक्री पारित हो चुकी है, अतः वही विषय पुनः उठाया जाना धारा 11 सीपीसी से बाधित है। वर्ष 1990 में सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, उदयपुर के समक्ष प्रकरण सं. 05/1990 में सभी पक्षकारों के आवेदन पर भूमि का विधिवत् विभाजन हुआ, जिस पर नामांतरण भी पारित किया गया, जो आज तक वैध है तथा उसके विरुद्ध कोई अपीलधरिवीजन नहीं किया गया। प्रतिवादी का कथन है कि वादी को विभाजन व खातों की पूर्ण जानकारी थी, फिर भी भूमि का मूल्य बढ़ने पर दुर्भावना से यह वाद प्रस्तुत किया गया है। पूर्व वाद में वादी द्वारा यशवन्त सिंह को 10 बिस्वा अधिक भूमि देने की सहमति दी गई थी, जिसे अब पलटना विधि सम्मत नहीं है। वर्ष 1960 में भूमि क्रय के समय वादी के पास आय का कोई स्रोत नहीं थाय प्रतिफल संयुक्त परिवार के कर्ता स्व. लक्ष्मण सिंह द्वारा दिया गया, अतः संपत्ति संयुक्त परिवार की है। वादी को वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है और वाद धारा 35–ए सीपीसी के अंतर्गत हर्जाना सहित खारिज किये जाने का निवेदन किया।

वादी के वाद का प्रतिवादी नं. 2 दो ने इकबाली जवाब दावा पेश किया एवं मु.नं. 21/87 रा.वाद एवं मु.नं. 5/90 सेटलमेन्ट के वाद के बारे में किसी प्रकार की जानकारी नही होने का कथन किया एवं वादग्रस्त कृषि भूमि का एकमात्र खातेदार काश्तकार वादी अकेला होना एवं भूमि वादी की स्वअर्जित होने का कथन किया।

वादी, प्रतिवादी नं. 1 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा के संबंध में निम्नानुसार जवाब–बुल–जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि वादी द्वारा दिनांक 16–03–1960 को पूर्व खातेदार से अपनी निजी आय से क्रय की गई थी। भूमि क्रय में न तो प्रतिवादीगण द्वारा और न ही वादी के स्व. पिता द्वारा कोई राशि अदा की गई। वादी ही भूमि का एकमात्र खातेदार, काश्तकार एवं कब्जाधारी है। प्रतिवादी नं. 1 द्वारा पूर्व में प्रस्तुत राजस्व वाद संख्या 21/87 दिनांक 09–12–1987 को सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है, जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की गई। उक्त निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी है। सहायक भू–प्रबंध अधिकारी को उपखण्ड अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध आदेश पारित करने, बंटवाड़ा करने अथवा राजस्व अभिलेखों में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था। उसकी संपूर्ण कार्यवाही अधिकार–विहीन एवं अवैध है, जिससे वादी बाध्य नहीं है। वादी द्वारा किसी अधिवक्ता की नियुक्ति, इकबाली जवाब, राजीनामा अथवा संयुक्त विभाजन वाद प्रस्तुत करना स्वीकार नहीं है। कथित हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान फर्जी हैं। निजी क्रय

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

की भूमि बिना पंजीकृत विक्रय पत्र के कानूनन हस्तांतरित नहीं हो सकती। दिनांक 26–07–1990 का कथित आदेश अधिकार–विहीन, शून्य एवं अवैध है। प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि में कोई अधिकार, हिस्सा या स्वामित्व नहीं है।अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि वादी का यह जवाब–बुल–जवाब अभिलेख पर लिया जाकर वादी का वाद डिक्री किया जाए।

वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादीगण के जवाब के आधार पर प्रकरण मे वाद निस्तारण हेतु निम्न विवाधक बनाये गये–

1. क्या मुनं. 21 / 87 रा.वाद फैसल तारीख 9–7–1987 को वाद बाबत घोषणा, पांती बंटवाडा व निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण का निरस्त हो जाने के बाद प्रति. नं. 1 एक का वादग्रस्त भूमि में कोई हिस्सा रहा है ?

–बजिम्मे प्रतिवादीगण

2. क्या मुनं. 21 / 87 रा. वाद सहायक कलेक्टर सलूम्बर द्वारा तारीख 9–7–1987 को निरस्त करने के बाद सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी उदयपुर द्वारा मु.नं. 5 / 90 के द्वारा वादी के नाम 1 / 3 हिस्सा प्रतिवादी नं. 1 एक के नाम 1 / 3 हिस्सा व प्रतिवादी नं. 2 दो के नाम 1 / 3 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अंकित करने का अधिकार था ?

– बजिम्मे प्रतिवादी नं. 1

3. क्या वादग्रस्त भूमि का बिना घोषणा के बटवाडा करने का सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी उदयपुर को अधिकार प्राप्त था ?

– बजिम्मे प्रतिवादी नं. 1

4. क्या मु.नं. 21 / 87 स.वाद का निर्णय ता. 9–7–1987 को हो जाने के बाद दुबारा गु नं. 58/22 रा.वाद धारा 11 जा.दि. काबिल निरस्त के है एवं यदि मु.नं. 58 / 22 रा. वाद निरस्त होता है तो इस वाद पर क्या प्रभाव होगा ?

– बजिम्मे प्रतिवादी नं. 1

5. क्या वादग्रस्त भूमि जिसका विवरण वाद पत्र की कम संख्या 2 क में वर्णित साबिक भूमि के हाल आ.नं. वाद पत्र की कम संख्या 2 ख में वर्णित है। उक्त भूमि वादी की खअर्जित है जिसका एकमात्र खातेदार काश्तकार वादी अकेला है एवं सेटलमेन्ट विभाग ने जो भूमि प्रतिवादीगण के अलग अलग खाते की है उसका एकमात्र खातेदार वादी घोषित कराने का अधिकारी है।

– बजिम्मे वादी

6. क्या वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है?

– बजिम्मे वादी

7. दादरसी.?

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

वादी स्वयं अपने वाद को साबित करने के लिये बतौर गवाह PW 1 पेश हुआ एवं दस्तावेज प्रदर्श 1 एक से लगाकर 16 सोलह तक पेश किये। एवं नजीरों (1) R.L.W. 2004 (2) SC P 278 विक्रय पत्र जब तक अवैध घोषित नही तब तक वैध (2) RRT 2018 (2) P 1268 जहां पर दस्तावेजी सबुत है वहां जबानी साक्ष्य का महत्व नही है। (3) RRT 2022 (1) Board of Revenue P 35 अवैध आदेश को कभी भी निरस्त किया जा सकता है। (4) RRD 1965 P 298 अवैध नामान्तरण को कभी भी सक्षम न्यायालय में वाद पेश कर निरस्त कराया जा सकता है। (5) RRT 224 (1) HC P 437, 463 (6) DNJ 2022 (3) P 109, 1091 बिना सक्षम न्यायालय के आदेश भू–प्रबन्ध अधिकारी राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन नही कर सकता है। (7) DNJ 2021 (2) (Rev.) (1329) भू–प्रबन्ध विभाग विद्यमान इन्द्राजो को परिवर्तित नही कर सकता है। (8) RRT (2) P 814 (9) RRT 2024 (1) P 278 पेश की।

प्रतिवादी नं. 1 एक DW1 यशवन्तसिंह गवाह के तौर से पेश हुआ एवं प्रतिवादी नं. 2 अभयसिंह ने कोई गवाही पेश नही की एवं दोनों प्रतिवादीगण ने कोई दस्तावेज पेश नही किया, नहीं कोइ नजीर पेश की।

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

वादी ने लिखित बहस पेश कि तथा लिखित बहस के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वादी ने न्यायालय के समक्ष अपनी खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया है। वादग्रस्त कृषि भूमि मौझा एवं पटवार हल्का सलुम्बर की निम्न कृषि भूमि वादी एवं स्व. सरदार सिंह पिता तेजसिंह एवं स्व. उदयसिंह पिता केसरसिंह राजपुत तीनों ने मिलकर बराबर हिस्से से जरिये रजि. विक्रय पत्र के दिनां 16–03–1960 को पूर्व खातेदार स्व. हीरालाल माथुर निवासी सलुम्बर से निम्न साबिक भूमि खरीदी थी जिसके साबिक आराजी नम्बर 178, 179, 180, 181, 182, 183/1, 183/2, 184, 185, 186, 187 कुल खेत 11 रकब 12 बीघा 4 बिसवा लगानी 21 रू. 15 आना थे।। विक्रय पत्र में वादी का नाम दर्ज है और तभी से वादी उक्त भूमि पर निरंतर, शांतिपूर्ण एवं निर्विवाद खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज चला आ रहा है तथा लगान भी वादी द्वारा ही जमा किया जाता रहा है। प्रतिवादी यह सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहे हैं कि भूमि संयुक्त परिवार की थी या प्रतिफल किसी अन्य ने दिया था। केवल कथन मात्र से पंजीकृत विक्रय पत्र का प्रभाव समाप्त नहीं किया जा सकता। प्रतिवादी द्वारा जिस प्रकरण 21/1987 का हवाला दिया जा रहा है, उसमें वादी द्वारा किसी भी प्रकार का वैध राजीनामा अथवा स्वीकारोक्ति नहीं की गई। वादी को उस प्रकरण की न तो विधिवत सूचना दी गई और न ही व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का अवसर मिला। उस वाद में प्रतिवादी स्वयं सहखातेदार सिद्ध नहीं कर पाए और वाद निरस्त हुआ, जिसकी कोई अपील नहीं की गई। अतः धारा

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

11 सीपीसी लागू नहीं होती। वर्ष 1990 में तथाकथित विभाजन व नामांतरण वादी को बिना सूचना दिये, धोखाधड़ीपूर्वक कराया गया। ऐसे आदेश जो अधिकार क्षेत्र के अभाव एवं धोखाधड़ी से प्राप्त हों, वे शून्य होते हैं और उन्हें किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है। इसलिए वाद को सीमा–काल से बाधित नहीं कहा जा सकता। वादी को इस अवैध प्रविष्टि की वास्तविक जानकारी दिनांक 01–02–2022 को हुई, जब प्रतिवादी ने भूमि पर जबरन निर्माण का प्रयास किया। उसी दिन कारण–ए–दावा उत्पन्न हुआ और वाद समय पर प्रस्तुत किया गया है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रतिवादी के अवैध खातों को निरस्त कर, वादी को वादग्रस्त भूमि का एकमात्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाए तथा प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषधाज्ञा जारि की जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 ने बहस मे अपने जवाब मे वर्णित तथ्यो का दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वर्ष 1960 में खरीदी गई, उस समय वादी के पास कोई स्वतंत्र आय का स्रोत नहीं था। सम्पूर्ण प्रतिफल संयुक्त परिवार के कर्ता स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह द्वारा दिया गया, इसलिए यह भूमि संयुक्त परिवार की है और तीनों भाइयों का समान अधिकार है। इसी भूमि के संबंध में पूर्व में प्रकरण संख्या 21 / 1987 में वाद चला, जिसमें वादी हिम्मत सिंह ने स्वयं वकालतनामा, जवाबदावा तथा राजीनामा प्रस्तुत कर भूमि को संयुक्त स्वीकार किया। उस प्रकरण में दिनांक 09–12–1987 को विधिवत निर्णय पारित हुआ, जो अंतिम है। अतः वर्तमान वाद धारा 11 सीपीसी से स्पष्ट रूप से बाधित है।

इसके पश्चात वर्ष 1990 में सभी पक्षकारों के संयुक्त आवेदन पर सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा विधिवत विभाजन किया गया, जिस पर वादी सहित सभी ने हस्ताक्षर किए तथा नामांतरण पारित हुआ। वादी ने आज तक उस निर्णय के विरुद्ध कोई अपील या रिवीजन प्रस्तुत नहीं किया। लगभग 30 वर्ष पश्चात जब भूमि का मूल्य बढ़ गया और प्रतिवादी ने अपने हिस्से की भूमि का विकास किया, तब दुर्भावना से यह वाद प्रस्तुत किया गया है। अतः दावा खारिज किया जावे।

पत्रावली मे तनकी वार निर्णय निम्न प्रकार है –

विवाधक नं. 1 क्या मु.नं. 21 / 87 रा.वाद असिस्टेन्ट कलक्टर सलुम्बर ने प्रतिवादी अभयसिंह एवं यशवन्त सिंह का घोषणा, पांती बंटवाडा का वाद दिनांक 09–12–1987 को निरस्त करने के बाद वादग्रस्त भूमि में कोई हिस्सा रहा है।

यह विवाधक साबित करने का भार प्रतिवादी नं. 1 एक पर था एवं प्रतिवादी नं. 1 एक बतौर DW1 गवाह के पेश होकर जवाब दावा को दोहरा एवं प्रतिवादी ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया, प्रतिवादी नं. 2 दो ने वादी के वाद को पुरा स्वीकार किया एवं वादी PW1 के तौर पर गवाह में पेश हुआ उसने वाद पत्र की ताईद की। प्रतिवादी नं. 1

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

एक के वकील जिरह में वादी के कथनों का खण्डन नहीं करा पाये। वादी ने अपने वाद पत्र की ताईद में दस्तावेजी सिबुत प्रदर्श 1 एक से लगाकर प्रदर्श 16 तक पेश किये। इसके विपरित प्रतिवादी नं. 1 एक का जवानी कथन है कि वादग्रस्त भूमि हम तीनों भाईयों के पिता स्व. लक्ष्मणसिंह ने उक्त भूमि खरीदने की किमत दी थी, परन्तु उक्त के सम्बंधित कोई प्रमाण पत्रावली मे पेश नही किया है। प्रतिवादी नं. 2 दो भी उसके कथनों की ताईद नही कर रहा है एवं प्रतिवादी नं. 1 एक ने कोई निष्पक्ष गवाह भी पेश नहीं किया जो प्रतिवादी नं. 1 एक के कथनों की ताईद करता हो। मु.नं. 21/87 रा.वाद फैसल दिनांक 09–12–1987 के ठीक 2 दो वर्ष 4 चार माह 23 दिन बाद सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी उदयपुर केम्प सलुम्बर ने हाल सेटलमेन्ट के दौरान अपने उच्च अधिकारी असिस्टेन्ट कलक्टर सलुम्बर के वाद निरस्त करने के निर्णय को नजर अंदाज कर पहले तो वादग्रस्त भूमि में ना.सं. 653 से वादी हिम्मतसिंह के साथ प्रतिवादी अभयसिंह, यशवन्तसिंह का नाम अंकित होने का कथन किया जिसकी ताईद तहसीलदार सलुम्बर से सुचना के तहत जानकारी मांगी थी कि ना.सं. 653 किसने स्वीकृत किया, जवाब मिला की सलुम्बर पटवार मण्डल या तहसील में नां.सं 653 किसी ने स्वीकृत नहीं किया है एवं उसके बाद दोनों पक्षों की रजाबंदी से दिनांक 17–04–1990 को पांती बंटवाडा कर दिया जबकि उक्त बंटवाडा को वादी स्वयं इन्कार कर रहा है एवं प्रतिवादी नं. 2 दो भी उक्त बंटवाडा की जानकारी से इन्कार रहा है एंव जहां तक वादी के साथ राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण दोनों के नाम जोडना है तो या तो किसी वैध दस्तावेज से या घोषणा के वाद के जोडने का प्रावधान है इसके अलावा कोई प्रावधान नही है एवं घोषणा के वाद की सुनवाई का अधिकार क्षैत्र सिर्फ सहायक कलक्टर को है। सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी तहसीलदार के समकक्ष अधिकारी है उसे उच्च अधिकारी के आदेश को किसी प्रकार का परिवर्तन करने का कानुन में अधिकार नही था इसलिये सहायक भू–प्रबन्ध ने अपने अपने उच्च अधिकारी के के निर्णय एवं डिक्री जिसमें वादीगण का वाद खारिज किया उसे निरस्त करने का अधिकार नहीं था। इसलिये वादग्रस्त भूमि में वादी के अलावा प्रतिवादी नं. 1 एक एवं 2 दो का कोई हिस्सा नही है। यह विवाधक प्रतिवादी नं. 1 एक साबित करने में पुर्ण रूप से असफल रहा है।

मु.नं. 21/87 रा.वाद में प्रतिवादीगण का पांती बंटवाड़ा व घोषणा का वाद दिनांक 09–12–1987 को निरस्त किया जा चुका है तथा उक्त निर्णय के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई। न्यायालय यह स्पष्ट रूप से पाता है कि मु.नं. 21/87 रा.वाद का निर्णय दिनांक 09–12–1987 गुण–दोष के आधार पर पारित हुआ था, जिसमें प्रतिवादीगण की सहखातेदारी का दावा अस्वीकार किया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध कोई अपील या पुनर्विचार प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः वह निर्णय अंतिम, प्रभावी एवं पक्षकारों पर बाध्यकारी

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

है। किसी पक्ष द्वारा प्रशासनिक अथवा सेटलमेंट कार्यवाही के माध्यम से ऐसे निर्णय को अप्रभावी करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। अतः उक्त मु.नं. 21 / 87 रा.वाद का निर्णय अंतिम व प्रभावी है और उसके पश्चात प्रतिवादी नं. 1 का वादग्रस्त भूमि में कोई अधिकार शेष नहीं रहा। अतः यह विवाधक प्रतिवादीगण के विरुद्ध एवं वादी के पक्ष में तय किया जाता है।

विवाधक नं. 2– क्या मु.नं. 21 / 87 रा.वाद के निर्णय दिनांक 09–12–1987 को निरस्त करने का अधिकार सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी को था।

यह विवाधक साबित करने का भार प्रतिवादी नं. 1 एक पर था। यह विवाधक पुरा कानुनी है। "राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम, 1956 तथा राजस्थान भूमि राजस्व (सेटलमेंट) नियम, 1957 के अंतर्गत सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी की भूमिका केवल मौजूदा अधिकारों को रिकॉर्ड करने तक सीमित है। वह न तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के अंतर्गत खातेदारी घोषित कर सकता है और न ही किसी सक्षम राजस्व न्यायालय के निर्णय को पलट सकता है। विवादित अधिकार के संबंध में उसके द्वारा की गई कोई भी कार्यवाही अधिकार–विहीन एवं शून्य होती है।"

न्यायालय यह स्पष्ट रूप से पाता है कि राजस्थान भूमि राजस्व (सेटलमेंट) नियम, 1957 के नियम 5, 6, 10 से 16 तथा विशेषतः नियम 15 के अनुसार सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी की भूमिका केवल पूर्व–विद्यमान एवं निर्विवाद अधिकारों को राजस्व अभिलेखों में प्रतिबिंबित करने तक सीमित है। जहाँ खातेदारी अथवा शीर्षक का प्रश्न विवादित हो अथवा किसी सक्षम राजस्व न्यायालय द्वारा उस पर अंतिम निर्णय दिया जा चुका हो, वहाँ सेटलमेंट अधिकारी को कोई निर्णय करने अथवा विपरीत प्रविष्टियाँ करने का अधिकार नहीं है।

वर्तमान प्रकरण में यह निर्विवाद है कि मु.नं. 21 / 87 रा.वाद में प्रतिवादीगण की सहखातेदारी को दिनांक 09–12–1987 को गुण–दोष के आधार पर अंतिम रूप से अस्वीकार किया जा चुका था। उक्त निर्णय के रहते हुए सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा वर्ष 1990 में प्रतिवादीगण के नाम वादग्रस्त भूमि में हिस्से दर्ज करना न केवल सेटलमेंट नियमों के प्रत्यक्ष उल्लंघन में है, अपितु न्यायिक आदेश को अप्रभावी करने का अवैध प्रयास भी है। अतः सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश अधिकार–सीमा से बाहर, अधिकार–विहीन तथा Void ab initio (शून्य प्रारंभ से ही) है और उससे प्रतिवादीगण के पक्ष में कोई वैध अधिकार उत्पन्न नहीं होता। अतः यह विवाधक वादी के पक्ष मे तय किया जाता है।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

विवाधक नं. 3 –क्या बिना घोषणा के वादग्रस्त भूमि का सहायक भुप्रबन्ध अधिकारी को पांती बंटवाडा करने का अधिकार था?

यह विवाधक साबत करने का भार भी प्रतिवादी नं. 1 पर था। उक्त विवाधक का पूर्ण विवेचन तनकी नम्बर 2 मे किया जा चुका है। बिना सहखातेदारी घोषणा किया गया बंटवाड़ा कानूनन शून्य है। बंटवाड़ा केवल सहखातेदारों के मध्य ही संभव है। जब सहखातेदारी स्वयं किसी सक्षम न्यायालय द्वारा नकार दी गई हो, तब बिना घोषणा किया गया कोई भी बंटवाड़ा विधि विरुद्ध होता है और उससे कोई वैध अधिकार उत्पन्न नहीं होता।

वर्तमान प्रकरण मे प्रतिवादी नं. 1 एक एंव 2 दो का घोषणा व पांती बंटवाडा का वाद संख्या 21 / 87 रा.वाद असिस्टेन्ट कलक्टर सलुम्बर ने दिनांक 09–12–1987 को निरस्त कर दिया था तो वादग्रस्त भूमि के प्रतिवादी नं. 1 एक एंव 2 दो खातेदार काश्तकार नही थे, एवं पांती बंटवाडा सिर्फ रेकार्डेड खातेदार ही भूमिधारी की स्वीकृति से करा सकता है। इसलिये प्रतिवादी नं. 1 एक यह विवाधक साबित नही कर पाया है।

विवाधक नं. 4–क्या मु.नं. 21 / 87 रा.वाद निर्णय दिनांक 09–12–1987 के होते हुए वादी का मु.नं. 58 / 22 रा.वाद धारा 11 जा.दी. पूर्व न्याय के सिद्धान्त से वर्जित होने से इस वाद पर क्या प्रभाव होगा?

यह विवाधक साबित करने का भार प्रतिवादी नं. 1 एक पर था। इस विवाधक का विवेचन एंव निर्णय न्यायालय ने दिनांक 27–03–2024 को किया जा चुका है। न्यायालय यह पाता है कि पूर्व वाद में प्रतिवादीगण पराजित हुए थे, जबकि वर्तमान वाद वादी द्वारा अपने स्वतंत्र खातेदारी अधिकार की घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया है। दोनो वाद पत्रों की रिलिफ भिन्न है। अतः वर्तमान वाद धारा 11 सीपीसी से बाधित नहीं है। यह तनकी प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध तय की जाती है।

विवाधक नं. 5– क्या वादग्रस्त भूमि वादी की स्वअर्जित है जिसका एक मात्र खातेदार काश्तकार वादी है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादग्रस्त भूमि के 3 तीन खाते एक वादी के नाम दुसरा प्रतिवादी नं. 1 एक के नाम तीसरा प्रतिवादी नं. 2 दो के नाम उक्त तीनों खातो की भूमि का वादी एक मात्र खातेदार की घोषणा कराने का अधिकारी है।

यह विवाधक साबित करने का भार वादी पर था। यह विवाधक को साबित करने वादी स्वयं PW1 के तौर में गवाही में पेश हुआ। वादग्रस्त भूमि जरिये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 16–03–1960 को खरीदने का असल विक्रय पत्र पेश किया। प्रतिवादीगण ने मु.नं. 21/87 रा.वाद बाबत् घोषणा, पांती बंटवाडा का सहायक कलक्टर सलुम्बर के न्यायालय में

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

पेश किया जो दिनांक 09–12–1987 को निरस्त हुआ उसकी प्रतिवादीगण ने कोई अपील पेश नहीं की, नहीं डिक्री अपास्त कराने की अथवा रिव्यु प्रार्थना पत्र, पेश किया एंव सेटलमेन्ट विभाग को राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार नही है। वादी ने अपने जिम्मे के विवाधक साबित करने के प्रदर्श 1 से प्रदर्श 16 तक दस्तावेजी सिबुत पेश किया एवं प्रतिवादी DW1 किसी प्रकार का वादी के वाद का खण्डन नही कर सका एवं वादी ने जो जो दस्तावेज अपने वाद की पुष्टि में पेश किये है उनसे वादग्रस्त कृषि भूमि का वादी एक मात्र खातेदार काश्तकार घोषित कराने में सफल रहा है एवं प्रतिवादी नं. 1 एक ने धोखे से सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी से मिसल नं. 5/90 से दिनांक 14–07–1990 को वादी के साथ दोनों प्रतिवादीगण के नाम जुडवाकर अवैध बंटवाडा करा दिया है। उसे वादी अवैध व अप्रभावी घोषित कराने का अधिकारी है इसलिये यह विवाधक अपने हक में साबित कराने में वादी सफल रहा है।

रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16–03–1960, राजस्व अभिलेख तथा प्रतिवादी नं. 2 दो के स्पष्ट समर्थन से वादग्रस्त भूमि वादी की स्व–अर्जित संपत्ति होना साबित है। संयुक्त परिवार की आय से भूमि क्रय होने का कोई भी साक्ष्य प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। यह विवाधक वादी के पक्ष मे तय किया जाता है।

विवाधक नं. 6–क्या वादी इस वाद में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

यह विवाधक साबित करने का भार वादी पर है। जब प्रतिवादीगण अपने जिम्मे के विवाधक साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहे एवं वादी अपने जिम्मे का विवाधक साबित करने में सफल रहा है। वादी का वैध खातेदारी अधिकार सिद्ध है तथा प्रतिवादी द्वारा कब्जे में हस्तक्षेप का प्रयास किया गया है। अतः वादी वादग्रस्त भूमि हाल आ.नं. 460/0.02, 461/0.17, 463/0.09, 464/0.19, 467/0.04, 468/0.13, 470/0.10, 473/0.09, 478/0.20 कुल खेत 9 रकबा 1.03 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है। यह विवाधक भी वादी साबित करने में सफल रहा है।

विवाधक नं. 7–दादरसी

पत्रावली मे उभयपक्षकारान बहस मनन की गई तथा पुरी पत्रावली एवं उसमें पेश दस्तावेजो एवं गवाहों के बयानो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी अपना वाद साबित करने में पूर्ण रूप से सफल रहा है एवं प्रतिवादीगण के जवाब दावा की ताईद वादग्रस्त कृषि भूमि स्व. लक्ष्मणसिंह जो वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता थे उनके द्वारा

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

कलेक्टर, जिला-सलूम्बर (राज.)

खरीदना साबित करने में प्रतिवादी नं. 1 एक असफल रहा है। न्यायालय यह स्पष्ट रूप से पाता है कि मु.नं. 21/87 रा.वाद का निर्णय दिनांक 09–12–1987 गुण–दोष के आधार पर पारित हुआ था, जिसमें प्रतिवादीगण की सहखातेदारी का दावा अस्वीकार किया गया।

मु.नं. 21/87 रा.वा. के निर्णय के पश्चात सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा की गई समस्त कार्यवाही अधिकार–विहीन एवं शून्य है, वादी की भूमि स्व–अर्जित है तथा वह एकमात्र खातेदार काश्तकार घोषित किए जाने व स्थाई निषेधाज्ञा पाने का पूर्ण अधिकारी है। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य पाये जाने से डिक्री किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

–::आदेश::–

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा एवं पटवार मण्डल सलुम्बर की वाद पत्र की कलम संख्या 2 मे वर्णित प्रतिवादी नं. 1 एक के हाल खाता नं. 232 आराजी नम्बर 1583/473, 1585/467, 1589/461, 1590/478, 1591/464, 464, 468 कुल किता 7 रकबा 0.42 हेक्टर एवं प्रतिवादी नम्बर 2 दो के हाल खाता नम्बर 03 हाल आ.नं. 1582/473, 1584/467, 1588/461, 1592/464, 478 कुल खेत 5 रकबा 0.30 हेक्टर व वादी के नाम वर्तमान खाता मे भूमि आ.नं. 1586/467, 460, 461, 463, 470, 473 कुल खेत 6 रकबा 0.31 हेक्टेयर की प्रविष्टियाँ निरस्त की जाकर उक्त तीनो खातो की भूमि कुल भूमि 0.31 + 0.42 + 0.30 = 1.0300 हैक्टेयर भूमि का एकमात्र खातेदार काश्तकार वादी को घोषित किया जाता है एवं वादी के नाम हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कीये जाने का आदेश दिया जाता है।

प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी की आराजीयात की भूमि मे दखलन्दाजी नही करे। माफिक निर्णय डिक्री पर्चा अलग से तैयार किया जावे।

निर्णय दिनांक 06/01/2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)

(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी,
सलूम्बर
सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदिश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 58 / 2022 रा.वा.

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022 / 182

उनवान

1. श्री हिम्मतसिह पुत्र स्व. लक्ष्मणसिह जी चौहान राजपुत, उम्र बालिग, निवासी सलुम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।

—वादी

विरूद्ध

1. श्री यशवन्त सिंह पुत्र स्व. लक्ष्मणसिंह जी चौहान राजपुत, उम्र बालिग
2. श्री अभयसिंह पुत्र स्व. लक्ष्मणसिंह जी चौहान राजपुत, उम्र बालिग
   निवासीयान सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।
3. भूमिधारी तहसीलदार सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा—88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट के लिए दावा वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री गोविन्दलाल डांगी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से एडवोकेट श्री राजकुमार जैन व प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से एडवोकेट श्री कमल बाहेती की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 06/01/26 को न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता हैं कि मौजा एवं पटवार मण्डल सलुम्बर की वाद पत्र की कलम संख्या 2 मे वर्णित प्रतिवादी नम्बर 1 एक के हाल खाता नं. 232 आराजी नम्बर 1583 / 473, 1585 / 467, 1589 / 461, 1590 / 478, 1591 / 464, 464, 468 कुल किता 7 रकबा 0.42 हेक्टर एवं प्रतिवादी नम्बर 2 दो के हाल खाता नम्बर 03 हाल आ.नं. 1582 / 473, 1584 / 467, 1588 / 461, 1592 / 464, 478 कुल खेत 5 रकबा 0.30 हेक्टर व वादी के नाम वर्तमान खाता मे भूमि आ.नं. 1586 / 467, 460, 461, 463, 470, 473 कुल खेत 6 रकबा 0.31 हेक्टेयर की प्रविष्टियाँ निरस्त की जाकर उक्त तीनो खातो की भूमि कुल 0.31 + 0.42 + 0.30 = 1.0300 हैक्टेयर भूमि का एकमात्र खातेदार काश्तकार वादी को घोषित किया जाता है एवं वादी के नाम हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कीये जाने का आदेश दिया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाता है कि वादी के आराजीयात की भूमि मे किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे।

इसके वाद के खर्चे पक्षकार अपना—अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 06/01/26 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

(जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सलूम्बर
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	पैसे	प्रतिवादी	रूपये	पैसे
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	01	—	शक्ति—पत्र के लिए स्टाम्प	01	—
2. शक्ति—पत्र के लिए स्टाम्प	01	—	अर्जी के लिए स्टाम्प	—	—
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	—	—	प्लीडर की फीस	—	—
4. रूपये पर लीडर की फीस	—	—	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	—	—
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	02	—	आदेशिका की तामील	—	—
6. कमिश्नर की फीस (तलवाना)	—	—	कमिश्नर की फीस	—	—
7. आदेशिका की तामील	05	—		—	—
योग			योग	01	—

उपखण्ड अधिकारी
सलूम्बर
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर